

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या- 21/2024

वादीगण

1. जयराम पुत्र रामचन्द्र
2. सुरेश पुत्र रामचन्द्र जातियान कुम्हार निवासीगण बेरा सागरों का अरट, बिलाडा
3. श्रीमति इन्द्रादेवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी छोटाराम जाति कुम्हार निवासी दीवानजी की प्याउ के पास बिलाडा तहसील बिलाडा
4. श्रीमति समादेवी कुमावत पुत्री रामचन्द्र पत्नी मंगलचन्द्र जाति कुम्हार निवासी प्लांट नं. 187 टेलीफोन एक्सचेंज कालोनी बस स्टेण्ट के पास बंधकपेट सारननगर रंगारेडडी आन्ध्राप्रदेश
5. श्रीमति दुर्गादेवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी मंगलाराम जाति कुम्हार ग्राम झांझनवास तहसील जैतारण जिला ब्यावर
6. श्रीमति कालचीदेवी पुत्री भानाराम पत्नी हेमाराम जाति कुम्हार ग्राम झांझनवास तहसील जैतारण जिला ब्यावर

बनाम

प्रतिवादी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति:-वादीग की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट।

प्रतिवादी सं. - सरकारी परोकार।

निर्णय

दिनांक:- 21/07/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम बिलाडा चक सं. 4 तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2729 रकबा 0.0405 हैक्टयर किस्म चाही अलीफ आयी हुयी है। उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि वादी सं. 1 से 5 के दादा व वादी सं. 6 के पिता भानाराम पुत्र धनाराम का 1/4 वां हक व हिस्सा था। ग्राम बिलाडा चक सं. 4 तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2672 रकबा 0.1294 हैक्टयर, भूमि खसरा नम्बर 2675 रकबा 0.2103 हैक्टयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.3397 हैक्टयर आयी हुयी है। उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि वादी सं. 1 से 5 के पिता रामचन्द्र पुत्र भानाराम का 1/2 वां हक व हिस्सा था। ग्राम बिलाडा चक सं. 4 तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2677 रकबा 0.1861 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2680 रकबा 0.0890 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2689 रकबा 0.2589 हैक्टयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 0.5340 हैक्टयर आयी हुयी

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा



है। उपरोक्त खातेदारी भूमि वादी सं. 1 से 5 के पिता रामचन्द्र पुत्र भानाराम का हक व हिस्सा था। ग्राम बिलाडा चक सं. 4 तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2681 रकबा 0.1214 हेक्टर आयी हुयी है। उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि वादी सं. 1 से 5 के पिता रामचन्द्र पुत्र भानाराम का 1/2 वां हक व हिस्सा था। ग्राम बिलाडा चक सं. 4 तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2682 रकबा 0.1214 हेक्टर आयी हुयी है। उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि वादी सं. 1 से 5 के पिता रामचन्द्र पुत्र भानाराम का 5/8 वां हक व हिस्सा था। ग्राम बिलाडा चक सं. 4 तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2683 रकबा 0.1052 हेक्टर आयी हुयी है। उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि वादी सं. 1 से 5 के पिता रामचन्द्र पुत्र भानाराम का 1/3 वां हक व हिस्सा था। ग्राम बिलाडा चक सं. 4 तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2671 रकबा 0.1375 हेक्टर, खसरा नम्बर 2673 रकबा 0.1052 हेक्टर, खसरा नम्बर 2674 रकबा 0.1052, खसरा नम्बर 2676 रकबा 0.1618 हेक्टर, खसरा नम्बर 2678 रकबा 0.1618 हेक्टर, खसरा नम्बर 2679 रकबा 0.1699 हेक्टर, खसरा नम्बर 2685 रकबा 0.2427 हेक्टर, खसरा नम्बर 2686 रकबा 0.2023 हेक्टर, खसरा नम्बर 2687 रकबा 0.0809 हेक्टर, खसरा नम्बर 2691 रकबा 0.1456 हेक्टर, खसरा नम्बर 2698 रकबा 0.2427 हेक्टर, खसरा नम्बर 2710 रकबा 0.0081 हेक्टर, खसरा नम्बर 2714 रकबा 0.1052 हेक्टर, खसरा नम्बर 2715 रकबा 0.0647 हेक्टर कुल खसरा 14 कुल रकबा 1.9336 हेक्टर आयी हुयी है। उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि वादी सं. 1 से 5 के पिता रामचन्द्र पुत्र भानाराम का 10/27 वां हक व हिस्सा था। वादीगण के पूर्वज भानाराम पुत्र धनारामजी थे उनका दावे के पद सं. 1 में वर्णित भूमि में 1/4 वां हक व हिस्सा तथा दावे के पद सं. 2 में वर्णित भूमि में वादी सं. 1 से 5 के पिता रामचन्द्र का 1/2 वां हक व हिस्सा तथा दावे के पद सं. 3 में वर्णित भूमि में वादी सं. 1 से 5 के पिता रामचन्द्र का सम्पूर्ण हक व हिस्सा तथा दावे के पद सं. 4 में वर्णित भूमि में वादी सं. 1 से 5 के पिता रामचन्द्र का 1/2 वां हक व हिस्सा तथा दावे के पद सं. 5 में वर्णित भूमि में वादी सं. 1 से 5 के पिता रामचन्द्र का 5/8 वां हक व हिस्सा तथा दावे के पद सं. 6 में वर्णित भूमि में वादी सं. 1 से 5 के पिता रामचन्द्र का 1/3 वां हक व हिस्सा तथा दावे के पद सं. 7 में वर्णित भूमि में वादी सं. 1 से 5 के पिता रामचन्द्र का 10/27 वां हक व हिस्सा है। दावे के पद सं. 1 में वर्णित भूमि का 1/4 वां हिस्सा के संयुक्त खातेदार भानाराम पुत्र धनाराम का देहान्त दिनांक 20.12.2001 को हो गया है। उनके देहान्त का फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकृत नहीं किया गया है। उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी उसके एक पुत्र रामचन्द्र तथा एक पुत्री कालची देवी तथा पत्नी दाखुदेवी है। जिनमें से रामचन्द्र व दाखुदेवी का देहान्त हो चुका है। रामचन्द्र के उत्तराधिकारी उसके दो पुत्र जयराम, सुरेश तथा तीन पुत्रिया इन्द्रादेवी, समादेवी, दुर्गादेवी है। दाखुदेवी के प्रथम श्रेणी तथा तीन पुत्रिया इन्द्रादेवी, समादेवी, दुर्गादेवी है। इसके अलावा दावे के पद सं. 2 से 7 में वर्णित भूमि के संयुक्त खातेदार रायचन्द्र उर्फ रामचन्द्र पुत्र भानाराम का देहान्त

सहायक कलेक्टर

एवं उप जज अधिकारी

बिलाडा



दिनांक 28.11.2023 को हो चुका है। उनके देहान्त का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया गया है। उनके प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी वादी सं. 1 से है। अतः वादीगण भानाराम तथा रामचन्द्र उर्फ रायचन्द्र के वारिसान होने के कारण उनकी खातेदारी भूमि को अपने नाम से घोषित कराने के अधिकारी है। वादी सं. 1 से 5 के पिता को घर में लाड प्यार से रायचन्द्र पुकारते थे और वादी सं. 1 से 5 के पिता रामचन्द्र का सरकारी दस्तावेज आदि में उनका वाद रामचन्द्र लिखा हुआ है। राजस्व रेकॉर्ड में लिपिकीय त्रुटिवश पेन मिस्टेक से रामचन्द्र के बजाय रायचन्द्र दर्ज कर दिया गया है। जबकि वादी सं. 1 से 5 के पिता रामचन्द्र का सरकारी दस्तावेजों के अनुसार उसका वास्तविक नाम रामचन्द्र है। वादी सं. 1 से 5 के पिता रायचन्द्र व रामचन्द्र एक ही व्यक्ति हैं तथा विवादग्रस्त भूमि पर वादी सं. 1 से 5 का कब्जा काशत चला आ रहा है वादीगण ने विवादग्रस्त भूमि दावे के पद सं. 1 से 7 की खातेदारी के विरुद्ध तहसीलदार या अन्य किसी के न्यायालय में कहीं कोई आपति, एतराज या अपील, रिवीजन आदि पेश नहीं की है। वादी सं. 1 से 5 के पिता का नाम राजस्व रेकॉर्ड में रायचन्द्र नाम लिख देने से वादी सं. 1 से 5 न तो अपनी भूमि पर ऋण ले सकता है तथा न ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर सकता है। और न ही अपनी खातेदारी भूमि का बैचान कर सकता है। वाद कारण जब वादी सं. 1 से 5 के दादा व वादी सं. 6 के पिता भानाराम का देहान्त दिनांक 21.12.2001 को तथा वादी सं. 1 से 5 के पिता रामचन्द्र का देहान्त दिनांक 28.11.2023 को होने पर उनकी खातेदारी भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत कराने हेतु दिनांक 26.12.2023 को हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर तथा आनलाईन फौतेदगी नामान्तरकरण निरस्त करने पर बमुकाम बिलाडा चक सं. 4 में पैदा हुआ, जो वाद कारण निरन्तर जारी है। दावा घोषणा खातेदारी एवं रेकॉर्ड दुरुस्ती के लिए होने से तथा विवादग्रस्त भूमि ग्राम बिलाडा चक सं. 4 तहसील बिलाडा में स्थित होने से दावा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

प्रार्थना वादीगण यह कि दावा वादीगण बहक वादीगण विरुद्ध डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाडा चक सं. 4 तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2729 रकबा 0.0405 हैक्टर में दर्ज 1/4 वां हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में संयुक्त खातेदार भानाराम पुत्र धनाराम के स्थान पर वादी सं. 1 का 1/40 वां हिस्सा तथा 1/40 वादी सं. 2 का तथा 1/40 वां हिस्सा वादी सं. 3 का तथा 1/40वां हिस्सा वादी सं. 4 का तथा 1/40 वां हिस्सा वादी सं. 5 का तथा 1/8 वां हिस्सा वादी सं. 6 का खातेदारी काशतकारी का घोषित फरमाया जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत फरमाया जावे। ग्राम बिलाडा चक सं. 4 तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2672 रकबा 0.1294 हैक्टर, खसरा नम्बर 2675 रकबा 0.2103 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.3397 हैक्टर में दर्ज 1/2 वां हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में संयुक्त खातेदार रामचन्द्रराम पुत्र भानाराम के स्थान पर वादी सं. 1 का 1/10वां हिस्सा तथा 1/10 वादी सं. 2 का तथा 1/10 वां हिस्सा वादी सं. 3 का तथा 1/10 वां हिस्सा

सहायक कलेक्टर
एवं उप जज अधिकारी
दिल्ली



वादी सं. 4 का तथा 1/10 वां हिस्सा वादी सं. 5 का खातेदारी काश्तकारी का घोषित फरमाया जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत फरमाया जावे। ग्राम बिलाडा चक सं. 4 तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2677 रकबा 0.1861 हैक्टर, खसरा नम्बर 2680 रकबा 0.0890 हैक्टर, खसरा नम्बर 2689 रकबा 0.2589 हैक्टर कुल खसरा 3 कुल रकबा 0.5340 हैक्टर के राजस्व रेकॉर्ड में खातेदार रामचन्द्रराम पुत्र भानाराम के स्थान पर वादी सं. 1 का 1/10 वां हिस्सा तथा 1/10 वादी सं. 2 का तथा 1/10 वां हिस्सा वादी सं. 3 का तथा 1/10 वां हिस्सा वादी सं. 4 का तथा 1/10 वां हिस्सा वादी सं. 5 का खातेदारी काश्तकारी का घोषित फरमाया जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत फरमाया जावे। ग्राम बिलाडा चक सं. 4 तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2681 रकबा 0.1214 हैक्टर में दर्ज 1/2 वां हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में संयुक्त खातेदार रायचन्द पुत्र भानाराम के स्थान पर वादी सं. 1 का 1/10 वां हिस्सा तथा 1/10 वादी सं. 2 का तथा 1/10 वां हिस्सा वादी सं. 3 का तथा 1/10 वां हिस्सा वादी सं. 4 का तथा 1/10 वां हिस्सा वादी सं. 5 का खातेदारी काश्तकारी का घोषित फरमाया जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत फरमाया जावे। ग्राम बिलाडा चक सं. 4 तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2682 रकबा 0.1214 हैक्टर में दर्ज 5/8 वां हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में संयुक्त खातेदार रायचन्द पुत्र भानाराम के स्थान पर वादी सं. 1 का 5/40 वां हिस्सा तथा 5/40 वादी सं. 2 का तथा 5/40 वां हिस्सा वादी सं. 3 का तथा 5/40 वां हिस्सा वादी सं. 4 तथा 5/40 वां हिस्सा वादी सं. 5 का खातेदारी काश्तकारी का घोषित फरमाया जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत फरमाया जावे। ग्राम बिलाडा चक सं. 4 तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2683 रकबा 0.1052 हैक्टर में दर्ज 1/3 वां हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में संयुक्त खातेदार रायचन्द्रराम पुत्र भानाराम के स्थान पर वादी सं. 1 का 1/15 वां हिस्सा तथा 1/15 वां हिस्सा वादी सं. 2 का तथा 1/15 वां हिस्सा वादी सं. 3 का तथा 1/15 वां हिस्सा वादी सं. 4 का तथा 1/15 वां हिस्सा वादी सं. 5 का खातेदारी काश्तकारी का घोषित फरमाया जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत फरमाया जावे। ग्राम बिलाडा चक सं. 4 तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2671 रकबा 0.1375 हैक्टर, खसरा नम्बर 2673 रकबा 0.1052 हैक्टर, खसरा नम्बर 2674 रकबा 0.1052, खसरा नम्बर 2676 रकबा 0.1618 हैक्टर, खसरा नम्बर 2678 रकबा 0.1618 हैक्टर, खसरा नम्बर 2679 रकबा 0.1699 हैक्टर, खसरा नम्बर 2685 रकबा 0.2427 हैक्टर, खसरा नम्बर 2686 रकबा 0.2023 हैक्टर, खसरा नम्बर 2687 रकबा 0.0809 हैक्टर, खसरा नम्बर 2691 रकबा 0.1456 हैक्टर, खसरा नम्बर 2698 रकबा 0.2427 हैक्टर, खसरा नम्बर 2710 रकबा 0.0081 हैक्टर, खसरा नम्बर 2714 रकबा 0.1052 हैक्टर, खसरा नम्बर 2715 रकबा 0.0647 हैक्टर कुल खसरा 14 कुल रकबा 1.9336 हैक्टर में दर्ज 10/27 वां हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में संयुक्त खातेदार

सहायक कमिश्नर
एवं उप सचिव अधिकारी
दिल्ली



रायचन्द्रराम पुत्र भानाराम के स्थान पर वादी सं. 1 का 10/135 वां हिस्सा तथा 10/135 वां हिस्सा वादी सं. 2 का तथा 10/135 वां हिस्सा वादी सं. 3 का तथा 10/135 वां हिस्सा वादी सं. 4 का तथा 10/135 वां हिस्सा वादी सं. 5 का खातेदारी काश्तकारी का घोषित फरमाया जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में नामान्तरण स्वीकृत फरमाया जावे। दावे के पद सं. 1 से 7 में वर्णित भूमि में वादीगण की जाति कुम्हार दर्ज की जाने का आदेश फरमावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के नोटिस वाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के पिता रायचन्द्रराम की खातेदारी भूमि ग्राम बिलाडा चक 4 में आई हुई है। वादी के पिता रायचन्द्रराम का नाम जमाबंदी में जरिये विरासत नामा सं. 818 व 319 के जरिये दर्ज हुआ है। वादीगण अपने पिता का नाम जो विरासत नामा के जरिये रायचन्द्रराम दर्ज हुआ था, उसके स्थान पर रामचन्द्र दर्ज करवाना चाहते हैं। रायचन्द्र व रायचन्द्रराम एक ही व्यक्ति हैं जो भानाराम का पुत्र हैं। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत सरकारी दस्तावेज में अपने पिता का नाम रामचन्द्र होना बताया।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बिलाडा चक 4 के खसरा नम्बर 2729 में वादीगण द्वारा रेकॉर्ड में दर्ज 1/4 के स्थान पर वादी सं. 1 का 1/40, वादी सं. 2 का 1/40, वादी सं. 3 का 1/40, वादी सं. 4 का 1/40, वादी सं. 5 का 1/40 हि. व वादी सं. 6 का 1/8 हि. की खातेदारी घोषणा चाही है। तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 2672 व 2675 के कुल रकबा 0.3397 के 1/2 हिस्से में संयुक्त खातेदारी में रामचन्द्रराम पुत्र भानाराम 1/2 के स्थान पर वादी सं. 1 का 1/10, वादी सं. 2 का 1/10, वादी सं. 3 का 1/10, वादी सं. 4 का 1/10, व वादी सं. 5 का 1/10 हिस्से की खातेदारी घोषणा व खसरा नम्बर 2677, 2680, 2689 कुल 3 रकबा 0.5340 में खातेदार रामचन्द्रराम पुत्र भानाराम के स्थान पर वादी सं. 1 का 1/10, वादी सं. 2 का 1/10, वादी सं. 3 का 1/10, वादी सं. 4 का 1/10, व वादी सं. 5 का 1/10 हिस्से की खातेदारी घोषणा व खसरा नम्बर 2681 रकबा 0.1214 के 1/2 हि. रायचन्द्र पुत्र भानाराम के स्थान पर वादी सं. 1 का 1/10, वादी सं. 2 का 1/10, वादी सं. 3 का 1/10, वादी सं. 4 का 1/10, व वादी सं. 5 का 1/10 हिस्से की खातेदारी घोषणा व खसरा नम्बर 2682 रकबा 0.1214 हि. 5/8 रायचन्द्र पुत्र भानाराम के स्थान पर वादी सं. 1 का 5/40, वादी सं. 2 का 5/40, वादी सं. 3 का 5/40, वादी सं. 4 का 5/40 व वादी सं. 5 का 5/40 हि. की खातेदारी घोषणा व खसरा नम्बर 2683 रकबा 0.1052 हैक्टयर के 1/3 हिस्से में रायचन्द्रराम पुत्र भानाराम के स्थान पर वादी सं. 1 का 1/15, वादी सं. 2 का 1/15, वादी सं. 3 का 1/15, वादी सं. 4 का 1/15, व वादी सं. 5 का 1/15 हिस्से की खातेदारी घोषणा व खसरा नम्बर 2671, 2673, 2674, 2676, 2678, 2679, 2685, 2686, 2687, 2691, 2698, 2710, 2714, 2715 14 रकबा 0.9336 हैक्टयर में दर्ज हि 10/27 में रायचन्द्रराम पुत्र

सहायक कलेक्टर
एवं उप सहायक अधिकारी
दिल्ली



भानाराम के स्थान पर वादी सं. 1 का 10/135 वां, वादी सं. 2 का 10/135 वां, वादी सं. 3 का 10/135 वां, वादी सं. 4 का 10/135 वां, व वादी सं. 5 का 10/135 वां हिस्से की खातेदारी घोषणा चाही गई है। तथा वादीगण के पिता का नाम रायचन्द्र, रायचन्द्रराम के स्थान पर रामचन्द्र की दुरुस्ती चाही गई है। इस प्रकार उपरोक्त खसरा नम्बरान में वादीगण द्वारा अपने पिता के नाम दर्ज भूमि जो भिन्न-भिन्न नाम है उनकी खातेदारी घोषणा अपने पक्ष में चाही गई है। तथा पद सं. 1 से 7 में दर्ज जाति कुम्हार-प्रजापति के स्थान पर कुम्हार दर्ज किये जाने की ईस्तदुआ की है। प्रतिवादी की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नहीं रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसमें शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र जयराम पुत्र रामचन्द्र का पेश किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खसरा नम्बर 2729 ग्राम बिलाडा चक 4, प्रदर्श 2 मृत्यु प्रमाण पत्र रामचन्द्र पुत्र भानाराम, प्रदर्श 3 आधार कार्ड जयराम पुत्र रामचन्द्र, प्रदर्श 4 मृत्यु प्रमाण पत्र भानाराम पुत्र धनाराम, प्रदर्श 5 आधार कार्ड समादेवी पत्नी मंगलचन्द्र, प्रदर्श 6 जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खसरा नम्बर 2681 ग्राम बिलाडा चक 4 के प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 मृत्यु प्रमाण पत्र रामचन्द्र पुत्र भानाराम, प्रदर्श 2 आधार कार्ड रामचन्द्र पुत्र भानाराम, प्रदर्श 3 आधार कार्ड जयराम पुत्र रामचन्द्र, प्रदर्श 4 आधार कार्ड सुरेश पुत्र रामचन्द्र आदि दस्तावेज पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादीगण के पिता का नाम सरकारी दस्तावेजात में रामचन्द्र पुत्र भानाराम दर्ज किया हुआ है। लेकिन राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण के पिता का नाम रायचन्द्र पुत्र भानाराम, रामचन्द्रराम पुत्र भानाराम व रायचन्द्रराम पुत्र भानाराम के नाम से दर्ज है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नहीं कर पा रहा है, इस कारण वादीगण राजस्व रेकॉर्ड में अपने पिता का नाम रामचन्द्र पुत्र भानाराम की घोषणा कराने के अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने रायचन्द्र, रामचन्द्रराम, रायचन्द्रराम पुत्र भानाराम के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र भानाराम किये जाने की रिपोर्ट पेश की है। इसलिए वादीगण का दावा स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाडा चक 4 के खसरा नम्बर 2729 में वादीगण द्वारा रेकॉर्ड में दर्ज 1/4 के स्थान पर वादी सं. 1 का 1/40, वादी सं. 2 का 1/40, वादी सं. 3 का 1/40, वादी सं. 4 का 1/40, वादी सं. 5 का 1/40 हि. व वादी सं. 6 का 1/8 हिस्सा तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 2672 व 2675 के कुल रकबा 0.3397 के 1/2 हिस्से में संयुक्त खातेदारी में रामचन्द्रराम पुत्र भानाराम 1/2 के स्थान पर वादी सं. 1 का 1/10, वादी सं. 2 का 1/10, वादी सं. 3 का 1/10, वादी सं. 4 का 1/10, व वादी सं. 5 का 1/10 हिस्से तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 2677, 2680, 2689 कुल 3 रकबा 0.

सहायक कलेक्टर
एवं उप चण्ड अधिकारी
विजाबा



5340 में खातेदार रामचन्द्रराम पुत्र भानाराम के स्थान पर वादी सं. 1 का 1/10, वादी सं. 2 का 1/10, वादी सं. 3 का 1/10, वादी सं. 4 का 1/10, व वादी सं. 5 का 1/10 हिस्से तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 2681 रकबा 0.1214 के 1/2 हि. रायचन्द पुत्र भानाराम के स्थान पर वादी सं. 1 का 1/10, वादी सं. 2 का 1/10, वादी सं. 3 का 1/10, वादी सं. 4 का 1/10, व वादी सं. 5 का 1/10 हिस्से तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 2682 रकबा 0.1214 हि. 5/8 रायचन्द पुत्र भानाराम के स्थान पर वादी सं. 1 का 5/40, वादी सं. 2 का 5/40, वादी सं. 3 का 5/40, वादी सं. 4 का 5/40 व वादी सं. 5 का 5/40 हिस्से तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 2683 रकबा 0.1052 हैक्टर के 1/3 हिस्से में रायचन्द्रराम पुत्र भानाराम के स्थान पर वादी सं. 1 का 1/15, वादी सं. 2 का 1/15, वादी सं. 3 का 1/15, वादी सं. 4 का 1/15 व वादी सं. 5 का 1/15 हिस्से तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 2671, 2673, 2674, 2676, 2678, 2679, 2685, 2686, 2687, 2691, 2698, 2710, 2714, 2715 कुल 14 रकबा 1.9336 हैक्टर में दर्ज हि. 10/27 में रायचन्द्रराम पुत्र भानाराम के स्थान पर वादी सं. 1 का 10/135 वां, वादी सं. 2 का 10/135 वां, वादी सं. 3 का 10/135 वां, वादी सं. 4 का 10/135 वां, व वादी सं. 5 का 10/135 वां हिस्से की घोषणा की जाती है। तथा साथ ही राजस्व रेकर्ड में रायचन्द पुत्र भानाराम, रायचन्द्रराम पुत्र भानाराम व रामचन्द्रराम पुत्र भानाराम के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र भानाराम एवं राजस्व रेकर्ड में दर्ज जाति कुम्हार(प्रजापति) के स्थान पर जाति कुम्हार दर्ज किए जाने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेशित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामांतरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिप्टी मजिस्ट्रेट जारी हो। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।



ndan
(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उप-मजिस्ट्रेट, अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 31/01/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सारे इजलास सुनाया गया।



ndan
(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उप-मजिस्ट्रेट, अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा
व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादीगण

1. जयराम पुत्र रामचन्द्र
2. सुरेश पुत्र रामचन्द्र जातियान कुम्हार निवासीगण बेरा सागरों का अरट, बिलाडा
3. श्रीमति इन्द्रादेवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी छोटाराम जाति कुम्हार निवासी दीवानजी की प्याउ के पास बिलाडा तहसील बिलाडा
4. श्रीमति समादेवी कुमावत पुत्री रामचन्द्र पत्नी मंगलचन्द्र जाति कुम्हार निवासी प्लांट नं. 187 टेलीफोन एक्सचेंज कालोनी बस स्टेण्ट के पास बंधकपेट सारननगर रंगारेडडो आन्ध्राप्रदेश
5. श्रीमति दुर्गादेवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी मंगलाराम जाति कुम्हार ग्राम झांझनवास तहसील जैतारण जिला ब्यावर
6. श्रीमति कालचीदेवी पुत्री भानाराम पत्नी हेमाराम जाति कुम्हार ग्राम झांझनवास तहसील जैतारण जिला ब्यावर

बनाम

प्रतिवादी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व चाद संख्या :- 21/2024

निर्णय

दिनांक :- 31/07/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरु हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाडा चक 4 के खसरा नम्बर 2729 में वादीगण द्वारा रेकर्ड में दर्ज 1/4 के स्थान पर वादी सं. 1 का 1/40, वादी सं. 2 का 1/40, वादी सं. 3 का 1/40, वादी सं. 4 का 1/40, वादी सं. 5 का 1/40 हि. व वादी सं. 6 का 1/8 हिस्सा तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 2672 व 2675 के कुल रकबा 0.3397 के 1/2 हिस्से में संयुक्त खातेदारी में रामचन्द्रराम पुत्र भानाराम 1/2 के स्थान पर वादी सं. 1 का 1/10 वादी सं. 2 का 1/10, वादी सं. 3 का 1/10, वादी सं. 4 का 1/10 व वादी सं. 5 का 1/10 हिस्से तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 2677, 2680, 2689 कुल 3 रकबा 0.5310 में खातेदार रामचन्द्रराम पुत्र भानाराम के स्थान पर वादी सं. 1 का 1/10, वादी सं. 2 का 1/10, वादी सं. 3 का 1/10, वादी सं. 4 का 1/10, व वादी सं. 5 का 1/10 हिस्से तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 2681 रकबा 0.1214 के 1/2 हि. रायचन्द पुत्र भानाराम के स्थान पर वादी सं. 1 का 1/10, वादी सं. 2 का 1/10, वादी सं. 3 का 1/10, वादी सं. 4 का 1/10, व वादी सं. 5 का 1/10 हिस्से तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 2682 रकबा 0.1214 हि. 5/8 रायचन्द पुत्र भानाराम के स्थान पर वादी सं. 1 का 5/40, वादी



सहायक कलक्टर
व उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

सं. 2 का 5/40, वादी सं. 3 का 5/40, वादी सं. 4 का 5/40 व वादी सं. 5 का 5/40 हिस्से तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 2683 रकबा 0.1052 हैक्टर के 1/3 हिस्से में रायचन्द्रराम पुत्र भानाराम के स्थान पर वादी सं. 1 का 1/15, वादी सं. 2 का 1/15, वादी सं. 3 का 1/15, वादी सं. 4 का 1/15, व वादी सं. 5 का 1/15 हिस्से तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 2671, 2673, 2674, 2676, 2678, 2679, 2685, 2686, 2687, 2691, 2698, 2710, 2714, 2715 कुल 14 रकबा 1.9333 हैक्टर में दर्ज हि. 10/27 में रायचन्द्रराम पुत्र भानाराम के स्थान पर वादी सं. 1 का 10/135 वां, वादी सं. 2 का 10/135 वां, वादी सं. 3 का 10/135 वां, वादी सं. 4 का 10/135 वां, व वादी सं. 5 का 10/135 वां हिस्से की घोषणा की जाती है। तथा साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में रायचन्द्र पुत्र भानाराम, रायचन्द्रराम पुत्र भानाराम व रामचन्द्रराम पुत्र भानाराम के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र भानाराम एवं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जाति कुम्हार(प्रजापति) के स्थान पर जाति कुम्हार दर्ज किए जाने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेशित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिकी पर्चा जारी करवावली फौसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



nsdl
(मदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उप-सहायक अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिंग - बाबत -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बाबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रुपया	पैसे	मुदायराह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराज हुक्मनामा			बाबत हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दरश तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।



nsdl
सहायक कलेक्टर एवं
उप-सहायक अधिकारी
बिलाड़ा